प्रेस विज्ञप्ति
16.10.2026

ईडी ने नौहेरा शेख–हीरा ग्रुप मामले में ₹103.26 करोड़ मूल्य की नीलाम की गई 09 संपत्तियों का पंजीकरण पूर्ण किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 16.10.2026 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित दो अचल संपत्तियों, अर्थात् कार्वी सेंटर और नैना टावर्स, का कुल लगभग ₹88.23 करोड़ के विक्रय प्रतिफल पर पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इससे पूर्व 05.10.2026 को 07 संपत्तियों का पंजीकरण किया गया था। इस प्रकार, ईडी ने कुल ₹103.26 करोड़ के विक्रय प्रतिफल पर नौ संपत्तियों का पंजीकरण पूर्ण कर लिया है।

ये नीलामियाँ नौहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की गई थीं। इनका उद्देश्य वास्तविक पीड़ितों और दावेदारों को धनराशि का पुनर्स्थापन सुनिश्चित करना है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत ईडी की जाँच से पता चला कि अभियुक्त संस्थाओं ने 36% से अधिक वार्षिक प्रतिफल देने का वादा करके आम जनता से ₹5,978 करोड़ से अधिक का निवेश एकत्र किया, लेकिन बाद में धनराशि लौटाने में चूक की। ईडी ने ₹428.83 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को समाहित करते हुए पाँच अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं तथा हैदराबाद स्थित माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायतें दाखिल की हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने के बाद नौहेरा शेख को ईडी ने 21.05.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

नीलामी से प्राप्त धनराशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, वास्तविक पीड़ितों/दावेदारों को आगे वितरित किए जाने हेतु गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) को हस्तांतरित की जाएगी। पीड़ितों को धनराशि का पुनर्स्थापन सुनिश्चित करने के लिए ईडी शेष कुर्क की गई संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया भी जारी रखेगा।

आगे की जाँच जारी है।